कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मावली, जिला – उदयपुर

क्रमांक : चुनाव/व्यय/2023–24/630 दिनांक :– 15-11-23

प्रेषित :–

श्री दिनेश पुरोहित अभ्यर्थी
ब्राहमण मंदिर के पीछे घासा
जिला–उदयपुर

विषय :– निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 व 78 के तहत निर्वाचन व्यय लेखा का संधारण एवं दाखिल करने के संबंध मे।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक चुनाव/व्यय/2023–24/591 दिनांक 10.11.2023 के क्रम मे।

उपरोक्त विषयान्र्गत लेख है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 व 78 के तहत अभ्यर्थी को नाम निर्देशन प्रस्तुत करने के दिवस से निर्वाचन व्यय लेखो का संधारण करना अनिवार्य है तथा नियमानुसार निर्वाचन व्यय लेखो का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक महोदय से चुनाव प्रचार अवधि मे तीन बार निरीक्षण करवाया जाना अनिवार्य है। इस कार्यालय के के पत्र क्रमांक 591 दिनांक 10.11.23 अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक महोदय द्वारा व्यय लेखा को प्रथम निरीक्षण दिनांक 14.11.2023 को प्रातः 10.30 से दोपहर 1.30 बजे तक तय किया गया था। उक्त संबंध मे आपको इस कार्यालय के लेखा दल द्वारा दूरभाष/मोबाईल द्वारा सूचित किया गया था परन्तु आप स्वयं द्वारा या आपके निर्वाचन अभिकर्ता (व्यय) के माध्यम से निर्धारित दिनांक को व्यय लेखे मय समस्त रिकार्ड निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नही किया गया।

आपके द्वारा संधारित व्यय लेखो को भारत सरकार द्वारा नियुक्त व्यय पर्ययेक्षक से व्यय लेखो का निरीक्षण नही करवाया जाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 का उल्लंघन है। अतः व्यय पर्यवेक्षक महोदय विधानसभा क्षेत्र मावली–154 के समक्ष दिनांक 18.11.2023 को को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित होकर निर्वाचन व्यय लेखे मय समस्त रिकार्ड प्रस्तुत करे।

दिनांक 18.11.2023 को व्यय लेखे मय समस्त रिकार्ड निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नही करने पर आपके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अन्तर्गत व्यय लेखे संधारण नही करने तथा व्यय पर्यवेक्षक महोदय से व्यय लेखे निरीक्षण नही करवाये जाने के लिये आपके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धरा 171–1 के अन्तर्गत वाद दायर कर आपके विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी जिसके लिये आप स्वंय जिम्मेदार होंगें।

रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
मावली–154 (उदयपुर)

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् व्यय पर्यवेक्षक महोदय मावली।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय उदयपुर।
3. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ उदयपुर।
4. सहायक व्यय पर्यवेक्षक मावली।
5. प्रभारी अधिकारी लेखादल, विधान सभा क्षैत्र मावली।
6. रक्षित पत्रावली।

रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
मावली–154 (उदयपुर)

श्री मान रिटनिंग अधिकारी
मावली

निवेदन है कि दिनांक 14/11/23 को घर पर आवश्य कार्य होने से में नहीं आ सका तथा दिनांक 18/11/23 को में रजिस्टर ले आयुंगा।

दिनेश पुरोहित
18/11/23

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्वाचन व्यय लेखे के रजिस्टर क्रमांक ...10...... में

पृष्ठ संख्या ....01....... से .....311.......... तक है।

क्र.सं.	विवरण	पेज क्रमांक	
		से	तक
1	अनुलग्नक-ङ 1-भाग-क : दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए रजिस्टर	05	106
2	अनुलग्नक-ङ 1-भाग-ख : दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए रोकड़ रजिस्टर	107	172
3	अनुलग्नक-ङ 1-भाग-ग : दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए बैंक रजिस्टर	173	239
4	अनुसूचियां - 1 से 11	240	298
5	अनुलग्नक-ङ 2 : निर्वाचन व्ययों का सार विवरण - भाग I से IV	299	302
6	अनुलग्नक-घ 1 : जनसभाओं/रैलियों इत्यादि पर व्यय का ब्यौरा	303	310
7	पावती प्रपत्र	311	-

कार्यालय मुहर

रिटर्निंग ऑफिसर, विधान सभा क्षेत्र 154-मावली

हस्ताक्षर

रिटर्निंग ऑफिसर का नाम ....रिटर्निंग ऑफिसर (एस.डी.एम.) मावली 154-मावली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र....

....निर्वाचन क्षेत्र

तिथि ....06-11-23....

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों निर्वाचन व्यय लेखे के रख रखाव के लिए रजिस्टर

श्री दिनेश पुरोहित

अभ्यर्थी का नाम : श्री दिनेश पुरोहित

राजनैतिक दल का नाम, यदि कोई है : निर्दलीय

निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ से चुनाव लड़ा गया : मावली - 154

परिणाम घोषणा की तारीख :

निर्वाचन अभिकर्ता का नाम और पता :

उपगत / प्राधिकृत कुल व्यय :

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक, दोनों तारीखें सम्मिलित)

अनुलग्नक-ङ1 - भाग-क

अनुलग्नक-ड 1

(भाग – क)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम: श्री दिनेश पुरोहित

राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो: निर्दलीय

निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा गया: मावली - 154

परिणाम की घोषणा की तारीख:

निर्वाचन एजेन्ट का नाम एवं पता:

उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय:

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक, दोनों तारीखें सम्मिलित)

1.	2.			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
व्यय/घटना की तारीख	व्यय की प्रकृति			कुल राशि रु. में (भुगतान किया गया+बकाया)	आदाता का नाम और पता	बिल सं./वाउचर सं. और तारीख	अभ्यर्थियों या उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि	राजनैतिक पार्टी द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि और राजनैतिक दल का नाम	अन्य व्यक्ति/संस्था/निकाय/किसी अन्य द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (पूरा नाम और पता लिखें)	टिप्पणी यदि कोई हो।
	विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर							
6/11/2023	जमानत राशि	1	10,000	10,000	R.O मावली					
				10,000						

Inspection conducted till 18/11/2023

कुल व्यय Part A - Rs.10,000/-

कुल व्यय - B-13 - Rs 10,000/-

No difference. Nil

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए)।

(हस्ताक्षर) 18/11/2023

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनेश पुरोहित